

कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in, Tel.No.. 07453&230244

क्रमांक 0 एफ ()/एफ.सी.ए./ उ.व.स./2022-23/ 536

दिनांक 22/11/24

निमित्त:-

अधिशायी अभियन्ता

साओ निओ विओ खण्ड शाहबाद।

विषय :- जनपद बारां में आर.आर.एस.एम.पी. योजना के तहत गोरधनपुरा से कालीमाटी सडक के निर्माण हेतु 2.98 है० वन भूमि प्रत्यावर्तन के कम में

Proposal ID NO - FP/RJ/ ROAD /7000/2014 (2.98ha)

संदर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कार्यालय लखनउ का पत्र क्रमांक 225 दिनांक 04.08.2016 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि गोरधनपुरा से कालीमाटी सडक के निर्माण हेतु 2.98 है० वन भूमि प्रत्यावर्तन की प्रथम स्तरीय सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय लखनउ का पत्र क्रमांक 225 दिनांक 04.08.2016 को जारी की गई थी।

1. सैद्धान्तिक स्वीकृति में अंकित बिन्दु संख्या-2 के कम में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु धन राशि

क्र. सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त के अनुसार वेज रेट @252 से चाही गई राशि			सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त के अनुसार वेज रेट @259 से चाही गई राशि			जमा राशि	अवशेष राशि जो जमा करानी है।
	क्षेत्रफल	दर	राशि	क्षेत्रफल	दर	राशि		
1	2.98	164100	489018	2.98	198000	590040	489018	101022

2. बिन्दु संख्या - 4 के (क) के कम में NPV की राशि

क्र. सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त के अनुसार तत्समय प्रचलित दर से चाही गई राशि			सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त के अनुसार NPV की वर्तमान नवीन दर से चाही गई राशि			जमा राशि	अवशेष राशि जो जमा करानी है।
	क्षेत्रफल	दर	राशि	क्षेत्रफल	दर	राशि		
1	2.98	626000	18654680	2.98	957780	2854185	1865480	988705

3. FCA उल्लंघन के कम में MOEF के परिपत्र दिनांक 29.01.2018 के अनुसार दण्डात्मक राशि

a. उल्लंघन की दिनांक - 19.08.2020

b. कुल प्रभावित क्षेत्रफल - 2.98 है०

c. NPV की राशि - 957780 प्रति हैक्टर

d. शास्ती की गणना 19.08.2020 से

$$2.98 \times 4 \times 957780 = 11416738 \text{ /-}$$

e. यदि प्रस्ताव जन उपयोगी है तो गणना की राशि का 20% शास्ती के रूप में देय होगा इस प्रकार राशि जो जमा कराई जानी शेष है।

$$11416738 \times (20/100) = 2283348$$

4. कुल राशि का विवरण

क्र. सं.	मद का नाम	चाही गई राशि	पूर्व में जमा राशि	अवशेष राशि जो जमा करानी है।
1	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु धन राशि	590040	489018	101022
2	NPV की राशि	2854185	1865480	988705
3	दण्डात्मक राशि	2283348	0	2283348
	योग	5727573	2354498	3373075

अतः अब कुल जमा होने वाली राशि $101022 + 988705 + 2283348 = 33,73,075$ रु. केम्पा मद Online e- portal (<https://parivesh.nic.in/>) में जमा करवाकर रसीद इस कार्यालय में प्रेषित करे ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारां

दिनांक

क्रमांक 0 एफ () / एफ.सी.ए. / उ.व.स. / 2022-23 /

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अति-प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए) राजस्थान जयपुर।
2. संभागीय मुख्य वन संरक्षक, कोटा।
3. अधीक्षण अभियन्ता सा0नि0वि0बारां।

(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारां